

संस्था संख्या : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1

संस्थान : फर्रुखाबाद जनपद : फर्रुखाबाद

खाना खतौनी क्रम संख्या	खतौदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	आर्थिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खतौ के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खतौदार द्वारा देय मानगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आजा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनोंक सहित और आजा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क / भूमि जो सरकारीय भूमिपट्टी के अधिकार में हो।

00071 चौजजरजसिंह डिवी कालेज / / /
यशोदा नगर रतौसा दखरा / / /
प्रबंधक श्यामपाल सिंह / / / निजदिलियाँ खोजपुर

141860 आदेश श्रीमान तहसीलदार न्याया) व क
23 के क्रो 01/31/12/10 के अनुसार ग्राम रतौसा
नगला जीव परगना शहाबाद पूर्व तहसील सदर
फर्रुखाबाद की खतौनी खाना यो 49 पर गाटा सं।
293 रकबा 2.214 के स्थान पर गाटा सं। 293
रकबा 2.002 पर चौजजरज सिंह डिवी कालेज
यशोदा नगर रतौसा फर्रुखाबाद

व शेष रकबा 0.212 पर पूर्वदा श्यामपाल सिंह
पुत्र गजराज सिंह निवासी टिलिया लखपुर का
नाम दर्ज हो। हार(क)दि 0 31.12.10कीड दि 0
01.01.11.....

1430क) आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर
फर्रुखाबाद मु(स)। 16/20/2/31.12.12/09/01/13
09.01.13 के अनुसार यो खजराता सिंह डिवी
कालेज यशोदा नगर रतौसा दखरा प्रबंधक
श्यामपाल सिंह निवासी टिलिया खण्ड लखपुर के
नाम दर्ज हो। हार(क)दि 0 31.12.10कीड दि 0
01.01.11.....

Handwritten signature and stamp in pink ink.

सदर फर्कखाबाद (सीआर) उपग्राम सभरी सदर

संख्या 293

दिनांक 23.03.13

1. 1420 फा) के खाता संख्या 49 के गाटा संख्या 293 रकवा 2.214 हे। में से शेष रकवा 0.212 हे। भूमि को जमावि। अर्थात् की धारा 141 के अन्तर्गत इत शर्त के साथ अर्थात् प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य में उपर भूमि पर कृषि मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि उपयोग किया जाता है तो धारा 144 जमावि। अर्थात् एवं भूमि व्यवस्था अर्थात् के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार सदर फर्कखाबाद आवश्यक कार्यवाही करेगे। (आ.जा.अ.दि। 23.03.13 फी.दि। 28.04.13)

2. 1420 फा) आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर फर्कखाबाद मुज। 5242/2012-2013/14.05.13/29.05.13 के अनुसार याम रहाँरा तगला नीव पर। (सं.सं.) की खतीनी 1417-1422 फा) के खाता संख्या 293 रकवा 2.214 हे। पर अर्जित वर्तमान इन्टरज के स्थान पर लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुरा के आधार पर कुरा न। 1 चौ। राजराज

राजेश्वर प्रसाद शर्मा
उपजिलाधिकारी
सदर फर्कखाबाद

